प्रेस विज्ञप्ति

25-06-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने वर्ष 2017 में शिक्षक भर्ती बोर्ड (टीआरबी) द्वारा आयोजित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के व्याख्याता भर्ती परीक्षा की ओएमआर उत्तर-पत्रकों में छेड़छाड़ से जुड़े मामले में 23.06.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चेन्नई, मदुरै, तिरुचिरापल्ली (त्रिची) और कोयंबटूर में स्थित 21 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने यह जांच वर्ष 2017 में तमिलनाडु पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर प्रारंभ की। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि परीक्षा के बाद टीआरबी में स्कैनिंग के दौरान आरोपियों ने स्कैन की गई ओएमआर उत्तर-पत्रकों की डिजिटल छवियों में हेरफेर कर अंतिम उत्तर-कुंजी के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों के अंकों को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया। आरोपियों ने उन्हीं चयनित अभ्यर्थियों के नामों वाली 385 अतिरिक्त द्वितीयक ओएमआर उत्तर-पत्रक भी तैयार किए थे। इसके परिणामस्वरूप 262 अयोग्य अभ्यर्थियों को धोखाधड़ीपूर्वक पॉलिटेक्निक व्याख्याता पद के लिए योग्य घोषित कर दिया गया। बाद में जब जनहित याचिकाओं के माध्यम से इस हेरफेर का खुलासा हुआ, तब उत्तर-पत्रकों का पुनर्मूल्यांकन किया गया, परीक्षा परिणाम वापस लिया गया तथा इस संबंध में मामला दर्ज किया गया। तमिलनाडु पुलिस ने इस मामले में पहला आरोप-पत्र वर्ष 2021 में तथा दूसरा आरोप-पत्र अक्टूबर 2023 में न्यायालय में प्रस्तुत किया।

ईडी की जांच से पता चला कि वी. सुब्रमणियन तथा उसके सहयोगी श्री सुरेश पॉल ने एम/एस डाटाटेक के तकनीकी कर्मचारियों शेख दाऊद नासिर और आई. रघुपति की सहायता से वर्ष 2017 की भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर करने की साजिश रची। आरोपियों ने एजेंटों और बिचौलियों के एक नेटवर्क के माध्यम से इच्छुक अभ्यर्थियों से संपर्क किया और प्रत्येक से 14 से 16 लाख रुपये नकद वसूले। इस प्रकार एकत्र की गई नकदी को विभिन्न म्यूल (बेनामी) बैंक खातों, प्रॉक्सी फर्मों (ट्रस्ट एंटरप्राइजेज, विजडम एंटरप्राइजेज तथा सूरियम एंटरप्राइजेज) के साथ-साथ सहयोगियों एवं परिवार के सदस्यों के खातों के माध्यम से घुमाया गया। बाद में इस धन को अचल संपत्तियों तथा आभूषणों में निवेश कर धन शोधन किया गया।

ईडी द्वारा की गई तलाशी का उद्देश्य इस घोटाले से संबंधित अपराध से अर्जित आय का पता लगाना था। तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए गए, जिनमें एजेंटों/आरोपियों द्वारा अभ्यर्थियों से वसूली गई नकदी का लेखा-जोखा, विभिन्न सरकारी परीक्षाओं से संबंधित अभ्यर्थियों की ओएमआर उत्तर-पत्रकों की कार्बन प्रतियां, जो आरोपियों/एजेंटों के पास सुरक्षित रखी गई थीं, अभ्यर्थियों के विभिन्न प्रमाण-पत्रों की प्रतियां, डिजिटल साक्ष्य आदि शामिल हैं। तलाशी के दौरान 13.18 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त 56 बैंक खातों तथा 2 डीमैट खातों को फ्रीज (अस्थायी रूप से संचालित होने से रोका) कर दिया गया है। साथ ही, आरोपियों एवं उनके सहयोगियों के नाम पर दर्ज 36 अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इन संपत्तियों का गाइडलाइन मूल्य लगभग 9.67 करोड़ रुपये है, जबकि इनका बाजार मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

आगे की जांच जारी है।